अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

उपायुक्त का न्यायालय, गुमला

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

सामु गोप
बनाम
जोर्ज कुजूर वगै0

आदेश फलक तारीख______से______तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– 07/2016–17

वाद का प्रकार :– म्युटेशन रिवीजन

29/11/21

अपीलार्थी सामु गोप पिता–स्व0 बुचु अहीर ग्राम–खड़ियापाड़ा थाना वो जिला–गुमला , के द्वारा दाखिल–खारिज अपील वाद सं0 – 18/2014–15 में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गुमला के दिनांक 26.12.2015 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करने व उनके अपील को स्वीकृत करने के निमित्त अपील किया गया है।

उक्त अपील के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए निम्न न्यायालय से संबंधित अभिलेख मंगायी गई तथा इस वाद के संबंधित वादीगणों को नोटिस कर पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है।

इस वाद का मुख्य केन्द्र बिन्दू मौजा –,गुमला थाना – गुमला के निम्नांकित भूमि से है:–

खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
04	930	2.25 एकड़,

उभय पक्षों के विद्य अधिवक्ताओं द्वारा दिनांक 29.10.2021 को न्यायालय के समक्ष सुलहनामा आवेदन समर्पित किया गया है। उभय पक्षों के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत मामले में अपीलार्थी के पिता– बुचु अहीर के नाम पर जमाबंदी काफी पूर्व से चली आ रही थी और उत्तराधिकारी दाखिल खारिज वाद संख्या 300 आर 27/2014 के द्वारा अपीलार्थी के नाम दाखिल खारिज हुआ था। अपीलार्थी सामु गोप के नाम से उत्तराधिकारी दाखिल खारिज वाद को उत्तरवादीगण स्वीकार करते हैं। वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का शांतिपूर्वक दखल–कब्जा है, जिसमें उत्तरवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। सुलहनामा आवेदन में यह भी उल्लिखित है कि उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गुमला के द्वारा दिनांक – 26.12.2015 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है तो उत्तरवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है तथा वादग्रस्त जमीन पर भविष्य में उत्तरवादीगण कोई दावा नहीं करेंगें।

उभय पक्षों के द्वारा सुलहनामा के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर इस रिविजन को स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः अपीलार्थी एवं उत्तरवादी का सुलहनामा आवेदन पत्र के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन पत्र स्वीकृत किया जाता है।

कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति सहित निम्न न्यायालय को L.C.R. वापस भेज दें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SHISHIR KUMAR SINHA
Date: 2021.12.06 11:11:17 +05:30
Location: 192.168.1.37

उपायुक्त,
गुमला

Scanned with CamScanner